

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.10.2024	<p style="text-align: center;">प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण मुकदमा संख्या 28/2024 सत्तार खां बनाम ज्ञानसिंह व अन्य</p> <p>पत्रावली पेश हुई। श्री सुनील कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर उप जिला कलक्टर महवा के विरुद्ध पेश किया गया है। श्री लाखनसिंह गुर्जर उप जिला कलक्टर महवा का स्थानान्तरण हो चुका है, इसलिये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा राजकीय अधिवक्ता के उक्त कथन से सहमत होना व्यक्त किया गया।</p> <p>अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजकीय अधिवक्ता के उक्त कथन पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण श्री लाखनसिंह गुर्जर उप जिला कलक्टर महवा के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। श्री लाखनसिंह गुर्जर उप जिला कलक्टर महवा का स्थानान्तरण हो चुका है। तत्कालीन पीठासीन अधिकारी लाखनसिंह गुर्जर का स्थानान्तरण होने से विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण सारहीन होकर इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है।</p> <p>उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय उप जिला कलक्टर महवा में विचाराधीन प्रकरण उनवानी ज्ञानसिंह आदि बनाम भूरे खां आदि प्रार्थना पत्र धारा 251 ए काश्तकारी अधिनियम मुकदमा संख्या 88/2024 को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थी सत्तार खां पुत्र मोलाबक्श जाति मुसलमान भिश्ती निवासी सलेमपुर तहसील महवा जिला दौसा द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण उनवानी सत्तार खां बनाम ज्ञानसिंह व अन्य खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर महवा को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट अभिलेखागार की जावे। निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

( सुमित्रा पारीक )  
अति. जिला कलक्टर, दौसा

